

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कमांक: शिविरा—माध्य / मा / स / 22423 / 2001–02

दिनांक: 28 फरवरी 2015

परिपत्र

विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक: शिविरा—माध्य / मा / स / 22423 / 2001–02 दिनांक: 21 जनवरी 2015 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 27.02.2015 के द्वारा कक्षा 1 से 8 के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) एवं कक्षा 9 से 10 / कक्षा 9 से 12 के लिए विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति (SDMC) के गठन एवं आय-व्यय पर नियन्त्रण रखने, लेखे संधारित करने बाबत विवरण अंकित किया गया है ताकि वर्णित समितियों द्वारा प्रभावी तरीके से कार्यों का निष्पादन किया जा सके।

विभाग के अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 तक के समन्वित विद्यालयों के संचालन हेतु राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.4(6)शिक्षा—1 / 2014 जयपुर दिनांक 11.02.2015 के क्रम में जारी किया गया है ताकि विद्यालयों में स्वच्छ शैक्षिक वातावारण में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। प्रायः देखने में आया है कि राजकीय विद्यालयों में छात्र कोष एवं विद्यालय विकास कोष में राशि उपलब्ध होने के बावजूद भी संस्था प्रधान राशि का उपयोग नहीं करते हैं अथवा विकास समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, विद्यालय स्टाफ एवं स्थानीय समुदाय का आपस में समुचित समन्वय नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को प्रभावी स्वच्छ शैक्षिक वातावरण हेतु वांछित सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। यह भी देखने में आया है कि छात्रकोष एवं विद्यालय विकास कोष में पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के बावजूद भी विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव रहता है, जो अत्यन्त शोचनीय विषय है।

छात्रकोष/विकास कोष के सामयिक, समुचित एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में गुणवत्ता अभिवृद्धि के उद्देश्य से निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं—

- कार्य योजना**— सत्रांत में विद्यालय के अगले सत्र की आवश्यकताओं का आंकलन कर विद्यालय प्रबन्धन/विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति, छात्र-अभिभावक संघ, विद्यालय स्टाफ, प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं गठित समिति सदस्यों से विचार विमर्श कर कार्य योजना का निर्धारण किया जावे। सामयिक समीक्षा के दौरान कार्ययोजना में शैक्षिक गुणात्मक सुधार से संबंधित बिन्दुओं पर अपेक्षित संशोधन हेतु संस्था प्रधान को पूर्ण स्वायत्तता होगी। कार्ययोजना में विद्यार्थियों के प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री, खेलकूद सामग्री व बैठक व्यवस्था हेतु फर्नीचर, दरी-पट्टी आदि के क्य के साथ-साथ पीने के पानी की व्यवस्था, बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय का निर्माण, मरम्मत, रख-रखाव एवं विद्यालय परिसर सहित उनकी सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जावेगी।
- राशि का उपयोग**—छात्रकोष/विकास कोष के सुचित उपयोग की दृष्टि से प्रत्येक विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति अथवा विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति उत्तरदायी होगी। यह समिति छात्रकोष शुल्क/विकास कोष शुल्क के उपयोग हेतु प्रतिवर्ष आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में प्राथमिकता तय करेगी, जिससे विद्यालय का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। यथा संभव संस्था प्रधान इस कोष से स्वयं के कार्यालय (Office Chamber) पर व्यय नहीं कर सकेंगे। छात्रहित से संबंधित कार्यों को प्रथम प्राथमिकता प्रदान कर आदर्श वित्तीय मानकों/नियमों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से राशि व्यय कर सकेंगे। कार्य योजना के अनुरूप व्यय की जाने वाली राशि के प्रस्ताव का संबंधित समिति से

स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य होगा। अपरिहार्य सिंहि में छात्र हित में समिति की स्वीकृति के बिना व्यय किये जाने पर कार्योत्तर स्वीकृति के पश्चात ही किया हुआ व्यय नियमित माना जायेगा।

3.0 **छात्र कोष/विकास कोष से किये जाने योग्य कार्य—विद्यालय प्रबन्धन समिति अथवा विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति से अनुमोदन पश्चात शैक्षिक गुणवत्ता सुधार, विद्यार्थियों हेतु बैठक व्यवस्था, पीने के पानी व बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग स्वच्छ टॉयलेट्स की उपलब्धता हेतु नियत किये गये समस्त कार्य छात्र कोष/विकास कोष से कराये जा सकेंगे। विद्यार्थियों का अध्ययन सुचारू रूप से चलाने तथा व्यय की जाने वाली राशि की सार्थकता के परिपेक्ष्य में मैं संस्था प्रधान की सुविधा हेतु प्रस्तावित कार्यों की सूची निम्नानुसार हैः—**

3.1 **छात्रकोष के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य—**

- 3.1.1 विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में दरी पट्टी, डेस्क एवं टेबल कुर्सी की कक्षा स्तर अनुसार व्यवस्था।
- 3.1.2 कक्षा कक्ष संचालन हेतु चॉक, डस्टर, सहायक शिक्षण सामग्री व पोस्टर्स, सहायक शिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्था।
- 3.1.3 उच्च गुणवत्ता वाले फाईबर बोर्ड/श्याम पट्टे।
- 3.1.4 बच्चों के प्रवेश उत्सव पर नव प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत, विद्यालय पहचान पत्र बनवाना व अच्छा कार्य करने वाले लोकसेवक/एनजीओ का सम्मान।
- 3.1.5 परिसर, कक्षा—कक्ष में रंग—रोगन/वॉल पैटिंग। कक्षा 1 से 5 के लिए लहर कार्यक्रम की भाँति, कक्षा 6 से 8 के लिए सामान्य ज्ञान एवं जानकारी एवं कक्षा 9 से 12 के लिए महापुरुषों के चित्र, विभागीय योजनाएं, भासाशाह एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का विवरण, महापुरुषों के नाम, छात्रवृत्ति व अन्य योजनाओं का विवरण विद्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर अंकित कराया जाना।
- 3.1.6 खेलकूद प्रवृत्तियों के लिए खेल सामग्री यथा—फुटबॉल, वॉलीबाल, बास्केटबॉल, नेट आदि।
- 3.1.7 खेलकूद प्रतियोगिताएं, छात्र प्रवृत्तियां, सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, सामाजिक प्रवृत्तियां, मनोरंजन उत्सव, समारोह, पुरस्कार, शाला पत्रिका, अतिथि सत्कार, निमंत्रण पत्र आदि।
- 3.1.8 समान/गृह परीक्षा संचालन व्यय।
- 3.1.9 शारदे बालिका छात्रावासों की बालिकाओं हेतु शैक्षिक गतिविधियां।
- 3.1.10 समाज उपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) एवं कार्यानुभव गतिविधियां।
- 3.1.11 पुस्तकालय—वाचनालय हेतु प्रत्येक विद्यालय में समाचार पत्र हिन्दी/अंग्रेजी, पाक्षिक पत्र—पत्रिका छोटे बच्चों की पत्रिकाएं/महापुरुष की जीवनियां व अन्य पुस्तकों की व्यवस्था।
- 3.1.12 विद्यालय प्रार्थना सभा एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए माईक, हारमोनियम, तबला, ढोलक, रंगोली निर्माण सामग्री, रंगोली बनाने की पुस्तकें आदि।
- 3.1.13 विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड की व्यवस्था।
- 3.1.14 कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रमाण पत्र व पुरस्कार।
- 3.1.15 प्रत्येक परख व परीक्षा समाप्ति के 7 दिवस की अवधि में अभिभावक के साथ संवाद (पीटीए बैठक) व फोटोग्राफी।
- 3.1.16 कक्षा 8 से 12 के प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों की ग्राम/कस्बे के मुख्य मार्ग से रैली निकालना एवं फोटोग्राफी।

- 3.1.17 विधवा / परित्यक्ता / विशेष योग्यजन अभिभावकों के बच्चों को निःशुल्क विद्यालय पोशाक—कपड़े, जूते व मोजे (दो जोड़ी) तथा स्कूल बैग—कक्षा 1 से 5 के लिए।
- 3.1.18 कमरों में पंखे, वाटर कूलर, वाटर प्यूरीफायर एवं ठण्डे पानी हेतु फ्रीज की व्यवस्था एवं विद्युत बिल/पानी का बिल/टेलिफोन बिल का भुगतान।
- 3.1.19 विद्यार्थियों को स्वास्थ्य, खेलकूद, शिक्षा उन्नयन, शोधकार्य आदि को प्रोत्साहित किये जाने की दशा में तीन माह में एक वाक्‌पीठ।
- 3.1.20 विद्यालय सूचना पट्ट एवं साईन बोर्ड आकर्षक तरीके से बनवाने व ज्ञानार्थ—प्रवेश, सेवार्थ—प्रस्थान संबंधी पैटिंग आदि।

3.2 विद्यालय विकास कोष संबंधी कार्य—

- 3.2.1 स्कूल परिसर(बाहर—अन्दर) पेड़ कटाई—छंटाई।
- 3.2.2 कक्षा कक्षों की माईनर रिपेयर यथा—किवाड़, खिड़की, बिजली फिटिंग, टूटफूट, पानी लाईन, माईनर सिविल वर्क।
- 3.2.3 बालिकाओं हेतु संचालित शारदे बालिका छात्रावासों का विकास।
- 3.2.4 विद्यालय परिसर में मॉ सरस्वती की प्रतिमा (स्टेच्यू) का निर्माण।
- 3.2.5 पूर्व से संचालित विकास योजनाओं से डवटेल कर विद्यालय में विकास कार्य।
- 3.2.6 विद्यालय परिसर में पेयजल, हैण्डपम्प आदि का निर्माण (जन सहयोग व विकास योजनाओं से)
- 3.2.7 निर्माण कार्यों में खेलकूद मैदान चारदीवारी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट व ऑडिटोरियम आदि का निर्माण।

4.0 पर्यवेक्षण—

- 4.1 संस्था प्रधान प्रत्येक माह के अन्त में छात्र कोष में उपलब्ध राशि की समीक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे। विद्यालय पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण से संबंधित अधिकारी भी अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में छात्र कोष की राशि के संबंध में टिप्पणी अंकित करेंगे तथा विद्यालय का प्रभावी संचालन/विद्यार्थियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए छात्र कोष/विकास कोष के उपयोग हेतु आवश्यक होने पर संस्था प्रधान को निर्देश देने के लिए अधिकृत होंगे।
- 4.2 जिला शिक्षा अधिकारी—माध्यमिक/उप निदेशक(माध्यमिक) एवं निदेशालय के अधिकारी निरीक्षण के दौरान छात्र कोष/विकास कोष की राशि के उपयोग की स्थिति की समीक्षा करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करेंगे, जिससे इस राशि का विद्यालय/विद्यार्थियों के लिए प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- 4.3 जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित शाला प्रधानों से प्रत्येक माह के अन्त में निम्नांकित प्रारूप में सूचना प्राप्त कर विद्यालयवार अवशेष राशि व विद्यालय योजना के अनुसार प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा समीक्षा पश्चात आवश्यक निर्देश संस्था प्रधानों को जारी करेंगे जिससे विद्यालय स्तर पर विद्यालयों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	माह के प्रारम्भ में उपलब्ध राशि	माह में व्यय राशि	माह के अन्त में शेष राशि

उक्त परिपेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि निर्देशों के पश्चात विद्यालयों में छात्रकोष / विकास कोष का प्रभावी उपयोग नहीं करने पर संस्था प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

मुख्य
(सुवालाल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा—माध्य / मा / स / 22423 / 2001—02

दिनांक: 28 फरवरी 2015

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. प्राचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, अजमेर / बीकानेर
3. समस्त मण्डल उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर
5. प्राचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वरिष्ठ सम्पादक—शिविरा, कार्यालय हाजा को शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली

3/

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / मा-स / SDMC / 22423 / 2015-22 / ४४०

दिनांक : ३ / 10.2022

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा ।

विषय :- विद्यार्थी कोष/विकास कोष के सामयिक, समुचित एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु प्रभावी उपयोग किए जाने बाबत।

प्रसंग :- समसंख्यक परिपत्र दिनांक : 28.02.2015, 30.09.2015 एवं 16.11.2015

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से विद्यालय को विकसित करने हेतु विद्यार्थी कोष/विकास कोष की राशि को व्यय करने की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरलीकृत किया गया था। तदउपरांत प्रत्येक वर्ष के शिविरा पंचांग में सत्र के प्रथम कार्य दिवस को एसडीएमसी की बैठक आयोजित कर विद्यार्थी हित में सत्र पर्यन्त किये जाने वाले कार्यों की योजना का अनुमोदन करवाने, सत्र में 15 जुलाई को उक्त प्रस्तावों हेतु आवश्यक लेखांकन पूर्ण करने तथा 16 अगस्त तक निविदा कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

राजकीय विद्यालयों में छात्र कोष (परिवर्तित नाम "विद्यार्थी कोष") तथा विकास कोष के सामयिक, समुचित एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में गुणवत्ता अभिवृद्धि के उद्देश्य से प्रभावी उपयोग किया जाना विद्यार्थी हित में अत्यंत आवश्यक है।

यह संज्ञान में आया है कि कतिपय विद्यालयों में विद्यार्थी कोष/विकास कोष की राशि का उपयोग नहीं किया जाता है। इन कोषों में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद विद्यालयों में आवश्यक भौतिक सुविधाओं (यथा: रंग-रोगन, शौचालय, कक्षा-कक्षों की सामान्य मरम्मत, फर्नीचर, ग्रीन बोर्ड इत्यादि) एवं शैक्षिक सुविधाओं (यथा: पुस्तकालय, शिक्षण सहायक सामग्री, खेल सामग्री, कम्प्यूटर, प्रिंटर इत्यादि) का अभाव रहता है। जिसका सीधा प्रभाव विद्यालय की अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया में पड़ता है। उक्त स्थिति संस्था प्रधान की विद्यार्थी हित में व्यवहारिक सोच नहीं रखने एवं प्रशासनिक अक्षमता को उजागर करती है। वहीं दूसरी तरफ जिले के अधिकारियों की पर्यवेक्षणीय उदासीनता को भी प्रकट करती है।

निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों में विद्यार्थी कोष/विकास कोष की राशि को व्यय करने सम्बन्धित प्रासंगिक पत्रों/परिपत्रों की पालना सुनिश्चित करावें एवं स्वयं व अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सम्बलन हेतु विद्यालय के भ्रमण के दौरान विद्यार्थी कोष/विकास कोष के आय-व्यय का भी अवलोकन करें। जिन विद्यालयों में इन कोषों में राशि की उपलब्धता के बावजूद कतिपय सुविधाओं का अभाव पाये जाने को गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित संस्था-प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रिया प्रारम्भ की जावें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न : यथोक्त।

(गौरव अग्रवाल)

आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक/समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रभावी प्रबोधन एवं विद्यालय निरीक्षण के समय में वर्णितानुसार अवलोकन करने बाबत।
4. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: 19/45/शिक्षा-6/197 दिनांक 22.04.1999 द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति (SDMC) का गठन किया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक व अध्यापकों में से संस्था प्रधान द्वारा अध्यापकों में से गोनोनीत एक रादस्य सदस्य सचिव के रूप में नामित है। गठित समिति के नियमावली बिन्दु संख्या 16 के द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन बाबत प्रावधान है। इसके सम्बन्ध में निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/मा/स/22423/2001-02 दिनांक 21 जनवरी 2015 एवं दिनांक 27.02.2015 में विरतारपूर्तक विवरण अंकित है, जो आदर्श विद्यालय योजना वर्ष 2015-16 की नार्यादर्शिका पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 56 से 59 पर अंकित है।

उक्त समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने एवं विद्यालय भवन का विकास पुरुष्य है ताकि अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्वच्छ शैक्षिक वातावरण प्राप्त हो। समिति द्वारा विद्यार्थियों से छात्रनिधि के रूप में राशि प्राप्त की जाती है। प्राप्त राशि विभिन्न बैंकों में विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति द्वारा छात्र निधि (Boys Fund) के नाम से बैंक खाते का संचालन किया जाता है। निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/मा-स/21434/2015-16 दिनांक 07.09.2015 द्वारा बैंक खाता छात्रनिधि (Boys Fund) के स्थान पर विद्यार्थी कोष (Student Fund) के नाम से संचालित करने के निर्देश दिये गये थे ताकि अध्ययनरत विद्यार्थियों का विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति से जुड़ाव हो सके।

विद्यार्थी कोष में विद्यार्थियों से ली जाने वाली राशि का निर्धारण भी विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति (SDMC) द्वारा किया जाता है। इस समिति में स्थानीय ग्रामवासियों का प्रतिनिधित्व- विद्यार्थी के माता-पिता या संरक्षक के होने से वसूल एवं व्यय की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में पूर्ण पारदर्शिता रहती है। विद्यालय में शैक्षिक वातावरण व अच्छा स्तर होने से, समिति विद्यार्थी कोष की राशि का पुनर्निधारण भी होता है। इसे मासिक आधार पर भी वसूल करने हेतु निर्णय ले सकती है एवं ग्रामवासी करने के लिए भी सक्षम है। इसे मासिक आधार पर भी वसूल करने हेतु निर्णय ले सकती है एवं ग्रामवासी करने को राशि देने को तैयार होते हैं। वर्तमान में यह राशि वार्षिक आधार पर वसूल की जा रही है। इसी समिति को राशि देने को तैयार होते हैं। वर्तमान में यह राशि वार्षिक आधार पर वसूल की जा रही है। इसी समिति को राशि व्यय करने के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 28.02.2015 जारी किया गया है ताकि प्रधानाचार्य / शिविरा-माध्य/मा/स/22423/01-02 दिनांक 28.02.2015 जारी किया गया है ताकि प्रधानाध्यापक को विद्यार्थी कोष की राशि व्यय कर अध्ययनरत विद्यार्थियों को अधिक सुविधाएँ देकर शैक्षणिक वातावरण में सुधार किया जा सके।

राजकीय उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पदस्थापन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित संस्था प्रधान से अपेक्षा की जाती है कि प्रारंभिक चरण में आप मासिक आधार पर होने के लिए वैठक आयोजित कर-

विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति की वैठक आयोजित कर-

- (i) विद्यार्थी कोष में अवशेष राशि की जानकारी समिति के सदस्यों को दी जाये
 - (ii) राशि व्यय करने के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 28.02.2015 के अनुसार कार्य-योजना प्रस्तुत कर अनुगोदन करवाया जाये
 - (iii) कार्य योजना के अनुसार राशि व्यय की जाये
 - (iv) विद्यार्थी कोष के रूप में वसूल की जा रही राशि के पुनर्निधारण हेतु समिति के राग्रह विचार किया जाये ताकि समिति द्वारा निर्णय लिया जा सके
- जाये ताकि समिति संस्था प्रधान द्वारा की गयी कार्यवाही अभिभावकों में विश्वास के साथ-साथ विद्यालय विकास की दिशा में संस्था प्रधान द्वारा की गयी कार्यवाही अभिभावकों में एक सार्थक कदम होगा।

पूर्ण अपेक्षा के साथ

मिश्न 30/9-2015

(सुवालाल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

दिनांक 30/09/15

जामांक शिविरा-माध्य/मा./स./22423/2001-02
तिलिपि-निर्णयित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

गिजी शैक्षिक शासन राज्यीय, गांधीनिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

तमस्ता शिक्षा उपनिदेशक(प्रारंभिक / माध्यमिक)

तमस्ता जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारंभिक / माध्यमिक)

गरिमा शिविरा सम्पादक, कार्यालय हाजा को शिविरा के आगमी अंक में प्रकाशनार्थ।

सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड बाबत।

निजी एवं रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कायालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-गांधी/मा./स./22423/2001-02

दिनांक 30.09.2015

समर्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय

तिथि- विद्यार्थी कोष के उपयोग के सम्बन्ध में।

विषय- विद्यार्थी कोष के उपयोग के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत विन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: 19/45/शिक्षा-6/197 दिनांक 22.04.1999 द्वारा समर्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति (SDMC) का गठन किया गया है। इस कमेटी को अध्यक्ष प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक व अध्यापकों में से संरक्षा प्रधान द्वारा अध्यापकों में से मनोनीत एक सदस्य रादरस्य राचिव के रूप में नामित है। गठित समिति के नियमावली विन्दु संख्या 16 के द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य राचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन बाबत प्रावधान है। इसके सम्बन्ध में निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/मा/स/22423/2001-02 दिनांक 21 जनवरी 2015 एवं दिनांक 27.02.2015 में विरतारपूर्वक विवरण अंकित है, जो आदर्श विद्यालय योजना वर्ष 2015-16 की मार्गदर्शिका पुरितका के पृष्ठ संख्या 56 से 59 पर अंकित है।

उक्त समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने एवं विद्यालय भवन का विकास मुख्य है ताकि अध्ययनरत विद्यार्थियों को रवच्छ शैक्षिक वातावरण प्राप्त हो। समिति द्वारा विद्यार्थियों से छात्रनिधि के रूप में राशि प्राप्त की जाती है। प्राप्त राशि विभिन्न बैंकों में विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति द्वारा छात्र निधि (Boys Fund) के नाम से बैंक खाते का संचालन किया जाता है। निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/मा-स/21434/2015-16 दिनांक 07.09.2015 द्वारा बैंक खाता छात्रनिधि (Boys Fund) के स्थान पर विद्यार्थी कोष (Student Fund) के नाम से संचालित करने के निर्देश दिये गये थे ताकि अध्ययनरत विद्यार्थियों का विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध रामिति से जुड़ाव हो सके।

3. विद्यार्थी कोष विद्यार्थियों से ली जाने वाली राशि का निर्धारण भी विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति (SDMC) द्वारा किया जाता है। इस समिति में स्थानीय ग्रामवासियों का प्रतिनिधित्व- विद्यार्थी के माता-पिता या राजकक के होने से वसूल एवं व्यय की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में पूर्ण पारदर्शिता रहती है। विद्यालय में शैक्षिक वातावरण व अच्छा रतर होने से, समिति विद्यार्थी कोष की राशि का पुनर्निधारण भी करने के लिए भी सक्षम है। इसे मासिक आधार पर भी वसूल करने हेतु निर्णय ले सकती है एवं ग्रामवासी रामिति को राशि देने को तैयार होते हैं। वर्तमान में यह राशि वार्षिक आधार पर वसूल की जा रही है। इसी विन्दु को ध्यान में रखते हुए छात्रकोष के उपयोग के संबंध में निदेशालय द्वारा परिपत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/मा/स/22423/01-02 दिनांक 28.02.2015 जारी किया गया है ताकि प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को विद्यार्थी कोष की राशि व्यय कर अध्ययनरत विद्यार्थियों को अधिक सुविधाएं देकर शैक्षणिक वातावरण में सुधार किया जा सके।

4. राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पदरथापन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित संरक्षा प्रधान से अपेक्षा की जाती है कि प्रारम्भिक चरण में आप मासिक आधार पर विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध रामिति की बैठक आयोजित कर-

- विद्यार्थी कोष में अवशेष राशि की जानकारी समिति के सदस्यों को दी जाये
- राशि व्यय करने के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 28.02.2015 के अनुसार कार्य-योजना प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जाये
- कार्य-योजना के अनुसार राशि व्यय की जाये
- विद्यार्थी कोष के रूप में वसूल की जा रही राशि के पुनर्निधारण हेतु समिति के समक्ष विचार किया जाये ताकि समिति द्वारा निर्णय लिया जा सके

5. संरक्षा प्रधान द्वारा की गयी कार्यवाही अभिभावकों में विश्वास के साथ-साथ विद्यालय विकास की दिशा में एक सर्थक कदम होगा।

पूर्ण अपेक्षा के साथ

अ. ३७/१२.०१.१५
(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/गा-स/22423/2001-02

दिनांक : 16-11-15

(12)

(16)

समरत जिला शिक्षा अधिकारी

1. समरत जिला शिक्षा अधिकारी
2. समरत संरक्षा प्रधान (प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक)
3. समरत उच्च माध्यमिक विद्यालय

विषय :- छात्र कोष एवं विकास कोष में अवशेष राशि की बैंक में सावधि जमा (FDR) नहीं करवाने वालत्।

प्रारंभ :- शिविरा/माध्य/गा-स/22423/2001-02, दिनांक 02.11.2015, 30.09.2015 व 28.02.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ संस्था प्रधानों द्वारा छात्र कोष व विकास कोष में अवशेष राशि को बैंक सावधि जमा (FDR) में रखा जा रहा है, जो यह प्रमाणित करता है कि संरक्षा प्रधान छात्र कोष में अवशेष राशि का छात्रों के कल्याण व शिक्षण संबंधी गतिविधियों में उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो पूर्व में छात्र कोष के उपयोग/गतिविधियों के संबंध में जारी आदेशों की स्पष्टतः अवहेलना है। अतः समरत संरक्षा प्रधानों को निर्देशित व पावन्द करें कि छात्र कोष की अवशेष राशि को पूर्व में जारी गतिविधियों में ही खाय करें। छात्र कोष के उपयोग के संबंध में निम्न निर्देश पुनः प्रदान किये जाते हैं:-

1. समरत संरक्षा प्रधान छात्र कोष व विकास कोष में उपलब्ध अवशेष राशि की बैंक में सावधि जमा (FDR) नहीं करवाएं, बल्कि उपलब्ध राशि खाते को पलैकरी सावधि जमा (FDR) के माध्यम से ही रखा जावे, ताकि विद्यार्थी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राशि उपलब्ध होने के साथ-साथ ब्याज भी आयोजित किया जा सके।
2. छात्र कोष व विकास कोष में उपलब्ध अवशेष राशि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षिक, सांस्कृतिक व खेलकूद संबंधी गतिविधियों के उन्नयन हेतु उपयोग में लाया जाना है। ध्यान रहे कि उक्त अवशेष राशि का उद्देश्य सावधि जमा (FDR) जमा से ब्याज अर्जित करना नहीं है।
3. छात्रकोष व विकास कोष में उपलब्ध राशि का उपयोग विद्यार्थियों के कल्याण संबंधी गतिविधियों के निष्पादन में किये जाने हेतु संरक्षा प्रधानों द्वारा रुचि नहीं ली जा सकी है, जिरासे विद्यार्थियों को विद्यालय में स्वरथ शैक्षिक वातावरण व सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है।
4. संरक्षा प्रधान छात्रकोष व विकास कोष की वार्षिक योजना तैयार कर विद्यालय प्रबन्धन समिति से अनुमोदित करवाएं व सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र में छात्रों के विकास व कल्याण सम्बंधी गतिविधियों को समयकूद रचालित करने की कार्यवाही करें।
5. संरक्षा प्रधानों द्वारा विद्यालय प्रबन्धन समिति की नियमित रूप से बैठक आयोजित की जावे।
6. यह भी रपट किया जाता है कि संरक्षा प्रधान द्वारा आयोजित की जाने वाली एराडीएमरी की बैठक के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे:-
 - (I) सदस्यों को अवशेष राशि की रापुचित जानकारी उपलब्ध करावें।
 - (II) समिति के रागक्ष विद्यालय में किये जाने वाले कार्यों की कार्य योजना एवं विवरण प्रस्तुत करें तथा कार्य योजना का अनुग्रहन करावें।
 - (III) प्रत्येक कार्य के लिए पृथक-पृथक पत्रावली संधारित करें, जिसमें एराडीएमरी के पारित प्रस्ताव आवश्यक रूप से सलग्न हों।

(IV) एसडीएमरी की वर्षावार योजना की जानकारी दी जाकर छात्र निधि से आदर्श वित्तीय मानकों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से राशि व्यय की जानी सुनिश्चित करें तथा छात्र निधि से व्यय राशि का एसडीएमरी से अनुगोदन करायें।

(V) पत्रावली में अनुगोदित व्यय प्रत्यावर्त की फोटो प्रति संधारित करें।
(VI) उच्चाधिकारियों के निरीक्षण, अंकेक्षण प्रयोजनार्थ पत्रावली अनिवार्य रूप से प्रत्युत की जावे। उक्त कार्यवाही के सामने गें रपाए किया जाता है कि यदि संरक्षण प्रधान द्वारा पारदर्शी तरीके से राशि व्यय की जाती है, तो प्रत्येक निरीक्षण/अंकेक्षण दल आवश्यक रूप से रांगुए होंगे।

7. जिला शिक्षा अधिकारी रखयां अधीनरथ शालाओं की छात्रकोष व विकास कोष से संचालित गतिविधियों का प्रगाही पर्यवेक्षण व गॉनिटरिंग की सुनिश्चितता हेतु यथावश्यक कार्यवाही करें।

४५७ १६/१-२०१८
(सुवालाल)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजरथान
वीकानेर

पत्रिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजरथान, जयपुर।
2. समरत पण्डित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजरथान को क्षेत्राधिकार में सातत प्रवोधन एवं प्रगाही पर्यवेक्षण हेतु।

४५८
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजरथान
वीकानेर